



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22088

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 59/2026

विमल कुमार जायसवाल

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- अनामिका सिंह, परितोष शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, लालजी

यादव

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनामिका सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1-राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री लालजी यादव को सुना गया।

1क. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(2) के अंतर्गत, विद्वान विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा वाद अपराध संख्या 194 /2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 64(1), 351(2), 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v), 3(2)(va) तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 को अपास्त किए जाने हेतु योजित की गई है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार, अपीलकर्ता ने अनधिकृत रूप से सूचनाकर्ता/पीड़िता का एक अश्लील वीडियो बनाया था और शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से उसे उसी वीडियो के माध्यम से धमका रहा था। यह कहा गया है कि इसी धमकाने के दृष्टिगत, अपीलकर्ता ने मुखबिर के साथ दुष्कर्म किया और जब वह 20.07.2025 को सुबह लगभग 10.00 बजे उसके घर पर विरोध करने गई, तो उसे जातिसूचक गालियों से अपमानित करते हुए उस पर हमला किया गया, जिसके कारण उसे चोटें भी आईं।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों के अनुसार, यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने सूचनाकर्ता के मोबाइल पर आपत्तिजनक और अश्लील संदेश भेजे थे, परंतु विवेचना के दौरान मुखबिर के मोबाइल से ऐसी कोई भी अश्लील सामग्री बरामद नहीं हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के अंतर्गत किसी भी वीडियो का कोई प्रमाणन प्राप्त नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता 10.11.2025 से कारावास में निरुद्ध है और उसका भारतीय दंड संहिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की धारा 498-क के अंतर्गत एक पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, जिसे प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के प्रस्तर 3 में स्पष्ट किया गया है

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील के साथ अपील का विरोध किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज सूचनाकर्ता के बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। हालांकि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया है, परंतु यह स्वीकार भी किया है कि अपीलकर्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता और सूचनाकर्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की ओर भी संकेत किया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन एवं साक्ष्यों के अधीन, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी अश्लील वीडियो के आधार पर सूचनाकर्ता को धमकाने का आरोप लगाए जाने के बावजूद, ऐसा कोई वीडियो न तो अपीलकर्ता के मोबाइल फोन से, न ही उसके इंस्टाग्राम खाते से और न ही सूचनाकर्ता के मोबाइल से बरामद हुआ है। अपीलकर्ता एवं सूचनाकर्ता के बीच आदान-प्रदान की गई बताई जा रही वार्ता के लिए साक्ष्य अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्रमाणन की आवश्यकता होगी और इस स्तर पर उन पर विश्वास करना कठिन होगा। अपीलकर्ता 10.11.2025 से कारावास में निरुद्ध है और उसके पूर्व आपराधिक इतिहास को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आरोप-पत्र में 10 अभियोजन साक्षियों का उल्लेख होने के बावजूद, अभी तक केवल अभियोजन साक्षी-1 का ही साक्ष्य प्रारंभ हुआ है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का संज्ञान लिए बिना पारित किया गया है और इस प्रकार, निचली न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा आदेश दिनांक 19.12.2025 अपास्त किया जाता है।

9. उपरोक्त प्रकरण के अपराध में संलिप्त अपीलकर्ता/आवेदक **विकास कुमार जायसवाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जो यहां न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) अपीलकर्ता/आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलकर्ता/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

10. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे भी *निस्तारित* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

मार्च 30, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।